



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813/ 9304727852



पत्रांक : 01/यो0ब0-04/2021- 315

दिनांक :- 22/6/2022

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला/पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़/साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका/राँची वन प्रमंडल, राँची/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची/जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर/दुमका वन प्रमंडल, दुमका/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2027-28 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली "नदी तट वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण कार्य का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल रु0 140.093 लाख (एक करोड़ चालीस लाख नौ हजार तीन सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-11/2021-35/स्वी0 व0प0 दिनांक-11.02.2022 एवं आवंटन आदेश संख्या-4/यो0 बजट-11/2021-02/आ0 व0प0 दिनांक-01.06.2022।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, उप शीर्ष-70-नदी तट वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 140.093 लाख (एक करोड़ चालीस लाख नौ हजार तीन सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110170010103	97.573
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110170010323	42.520
कुल :-		140.093

Handwritten signature

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 तथा ऑन लाईन उप-आवंटन अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060110170010103 तथा 19S24060110170010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. यदि नदी तट वृक्षारोपण हेतु 100 प्रतिशत वनभूमि अथवा गैर-मजरुआ भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में नदी तट वृक्षारोपण की एक इकाई, जिसकी लम्बाई 100 मी० होती है, उसके चयन के क्रम में यदि आंशिक रूप से रैयती भूमि आ रही हो, तो इस प्रकार की रैयती भूमि का हिस्सा (100 मी० लम्बाई की इकाई में) यदि अधिकतम 30 प्रतिशत हो तो इस प्रकार के स्थल को वृक्षारोपण हेतु चयनित किया जा सकता है। इस क्रम में यह आवश्यक होगा कि जमीन के मालिक वन विभाग को योजना अवधि के लिए उक्त रैयती भूमि को वृक्षारोपण के लिए स्वेच्छा से सुपूर्द करने को तैयार हो एवं इसके लिए वन विभाग को इकरारनामा-सह-अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दें। योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जाएगा।

5. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

6. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

8. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे।

9. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :-

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमण्डलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड कराना सुनिश्चित करेंगे। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vi) दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय ब्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टॉकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

10. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :-

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2021-22 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

11. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद (CASH) भुगतान नहीं किया जायेगा।



(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(IX) कंडिका— VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

(X) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

12. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

13. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

16. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या GeM से की जाएगी।

17. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-झापांक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

19. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

20. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

21. कोषागार से निकासी के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।

22. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आकड़ा वर्षवार विभागीय वेबसाइट पर फोटो के साथ डाला जाए तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध कराई जाए।

23. नदी तट पर मुख्यतः स्थायी पौधशाला में उपलब्ध अर्जुन, सेमल, कदम, करंज, शीशम, जामुन, आम, बेल, बेर, इमली, पीपल, बरगद, नीम, सिरिस, जंगली जिलेबी गम्हार आदि के प्राकृतिक प्रजातियों के कम से कम 4 से 5 फीट औसत ऊँचाई के पौधे लगाये जायेंगे, जो वहाँ के मिट्टी एवं नमी के अनुरूप हो। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-04/2021-315 दिनांक- 22/6/2022

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/दुमका/हजारीबाग/जमशेदपुर/बोकारो/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ गुमला/ दुमका/ चतरा/ हजारीबाग/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ बोकारो/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-04/2021-315 दिनांक- 22/6/2022

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गुमला/ पाकुड़/ साहेबगंज/ देवघर/ हजारीबाग/ कोडरमा/ चतरा/ गढ़वा/ लातेहार/ दुमका/ डोरण्डा, राँची/ जमशेदपुर/ धनबाद/ चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली "नदी तट पर वृक्षारोपण योजना (अन्य व्यय) अन्तर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु0 326.85 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)


क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (कि०मी० में)	यूनिट कि संख्या (प्रति कि०मी० 10 यूनिट)	वित्तीय वर्ष 2022-23		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				10491.89	4572.13	15064.02
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	5.00	50.00	5.246	2.286	7.532
2	पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़	3.00	30.00	3.147	1.372	4.519
3	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	4.00	40.00	4.197	1.829	6.026
4	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर	5.00	50.00	5.246	2.286	7.532
5	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	5.00	50.00	5.246	2.286	7.532
6	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	2.00	20.00	2.098	0.914	3.012
7	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	3.00	30.00	3.147	1.372	4.519
8	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	3.00	30.00	3.147	1.372	4.519
9	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	5.00	50.00	5.246	2.286	7.532
10	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	5.00	50.00	5.246	2.286	7.532
11	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	10.00	100.00	10.492	4.572	15.064
12	राँची वन प्रमंडल, राँची	5.00	50.00	5.246	2.286	7.532
13	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	5.00	50.00	5.246	2.286	7.532
14	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	5.00	50.00	5.246	2.286	7.532
15	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	10.00	100.00	10.492	4.572	15.064
16	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	13.00	130.00	13.639	5.943	19.582
17	कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	5.00	50.00	5.246	2.286	7.532
योग :-		93.00	930.00	97.573	42.520	140.093

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

नदी तट पर वृक्षारोपण का अनुसूचित दर तालिका

पौधों की संख्या प्रति यूनिट	300	
पौधों की दूरी	2mx3m	
1 यूनिट का परिमाण	2000 m ²	100*20
1 यूनिट में घेसान की कुल लम्बाई	240m	
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	326.85	रुपये

क. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	वित्तीय वर्ष 2022-23 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 326.85					
1	पौधों का क्रय ढुलाई सहित 360	10 रु० प्रति	0	0.00	3600.00	3600.00
2	वृक्षारोपण	प्रति इकाई	6.6	2157.21	0.00	2157.21
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	प्रति इकाई	7.50	2451.38	0.00	2451.38
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	18.00	5883.30		5883.30
5	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	472.13	472.13
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति इकाई		0.00	500.00	500.00
	कुल:-		32.10	10491.89	4572.13	15064.02


 अपर-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
 झारखण्ड, राँची।



आवृटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवृटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-04/2021/315

दिनांक - 22-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृटित राशि
1	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	30075	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 03 - मजदूरी	524,600.00 रुपये पाँच लाख चौइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	30076	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	314,700.00 रुपये तीन लाख चौदह हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	30077	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 03 - मजदूरी	419,700.00 रुपये चार लाख उन्नीस हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये बारह लाख उनसठ हजार
क्रमिक योग:

1,259,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADOL, PCCE DEV, JHARKHAND

क्र	विपन्न कोड	एक्ससेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	30078	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV., DGR 03 - मजदूरी	524,600.00 रुपये पाँच लाख चौइस हजार छ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	30079	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST 03 - मजदूरी	524,600.00 रुपये पाँच लाख चौइस हजार छ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	30080	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 03 - मजदूरी	209,800.00 रुपये दो लाख नौ हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये पच्चीस लाख अठारह हजार

1,259,000.00

क्रमिक योग:

2,518,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	30081	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी	314,700.00 रुपये तीन लाख चौदह हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	30082	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 03 - मजदूरी	314,700.00 रुपये तीन लाख चौदह हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	30083	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 03 - मजदूरी	524,600.00 रुपये पाँच लाख चौदह हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये छत्तीस लाख बहत्तर हजार

1,154,000.00

क्रमिक योग:

3,672,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PRCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	30085	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAR 03 - मजदूरी	524,600.00 रुपये पाँच लाख चौइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	30086	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदूरी	1,049,200.00 रुपये दस लाख उनचास हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	30087	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO, RANCHI FOREST DIVISION RA 03 - मजदूरी	524,600.00 रुपये पाँच लाख चौइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये सत्तावन लाख सत्तर हजार चार सौ

2,098,400.00

क्रमिक योग:

5,770,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	30088	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 03 - मजदूरी	524,600.00 रुपये पाँच लाख चौइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	30089	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	524,600.00 रुपये पाँच लाख चौइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	30090	DMKFOR010 AVIROOP SINHA D.F.O.DUMKA 03 - मजदूरी	1,049,200.00 रुपये दस लाख उनचास हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये अठहत्तर लाख अडसठ हजार आठ सौ

2,098,400.00

क्रमिक योग:

7,868,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	30091	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	1,363,900.00 रुपये तेरह लाख तीसठ हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
17	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	30092	SGHFOR002 SRI. ABHISHEK BHUSHAN (I.F.S.) D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA 03 - मजदूरी	524,600.00 रुपये पाँच लाख चौइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
18	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	30093	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,600.00 रुपये दो लाख अठ्ठाइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये निम्नानवे लाख पचयासी हजार नौ सौ

2,117,100.00

क्रमिक योग:

9,985,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	30094	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	137,200.00 रुपये एक लाख सैतीस हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
20	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	30095	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	182,900.00 रुपये एक लाख बयासी हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
21	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	30096	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड पाँच लाख चौतीस हजार छः सौ

548,700.00

क्रमिक योग:

10,534,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCCF DEV JHARKHAND

RANCH

Run Date: 22/6/2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	30097	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
23	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	30098	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	91,400.00 रुपये इनकानवे हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
24	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	30099	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	137,200.00 रुपये एक लाख सैतीस हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड नौ लाख इनकानवे हजार आठ सौ

457,200.00

क्रमिक योग:

10,991,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCE DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	30100	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	137,200.00 रुपये एक लाख सैतीस हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
26	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	30101	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
27	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	30102	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAF 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड पंद्रह लाख छियासी हजार दो सौ

594,400.00

क्रमिक योग:

11,586,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCE DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	30103	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	457,200.00 रुपये चार लाख सत्तावन हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
29	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	30104	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
30	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	30105	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड पच्चीस लाख छः सौ

914,400.00

क्रमिक योग:

12,500,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCE DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	30106	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
32	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	30107	DMKFOR010 AVIROOP SINHA D.F.O.DUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	457,200.00 रुपये चार लाख सत्तावन हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
33	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	30108	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	594,300.00 रुपये पाँच लाख चौरानवे हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड सेतीस लाख अस्सी हजार सात सौ

1,280,100.00

क्रमिक योग:

13,780,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
34	S 19 24060110170010323	30109	SGHFOR002	228,600.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI. ABHISHEK	रुपये दो लाख अठाइस हजार छः
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण		BHUSHAN (I.F.S.)	सौ
	70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना		D.F.O.KOLHAN	
	01-नदी तट वृक्षारोपण		FOREST DIV.CBSA	
	03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	

State Scheme : NA

Central Scheme : NA

योग:

रुपये एक करोड चालीस लाख नौ हजार तीन सौ

228,600.00

क्रमिक योग:

14,009,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

RANCH